<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 70/2024 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. श्रीमती मोवनी बाई पुत्री खेमा जी सुथार पत्नी मोहनलाल जी सुथार, निवासी मजावद, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती देऊ बाई पुत्री खेमा जी सुथार पत्नी कालूलाल जी सुथार, निवासी मजावद हाल वणी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अ.–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक
19.06.2024 प्रकरण सं. 144/2022

———/———

<u>उपस्थित</u> :– 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 06–03–2025</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188, 64(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे शुदा भूमि मौजा मजावद, तहसील गोगुन्दा में स्थित है। आराजी नंबर 1532, 1536 रकबा 100 बीघा 19 बिस्वा में से वादी के नाम सब डिवीजन ऑफिसर उदयपुर द्वारा 5 बीघा भूमि दिनांक 21–03–1974 को वादीगण के भाई स्वर्गीय चुन्नीलाल पिता खेमा सुथार को आवंटित कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया, जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण संख्या 455 दिनांक 20–12–1974 को स्वीकृत होकर वादीगण के भाई चुन्नीलाल को खातेदार घोषित किया गया। संवत् 2021 से 2024 तक की जमाबन्दी में वादीगण के भाई का नाम इन्द्राज था, किन्तु इसके बाद की जमाबन्दी में सहवन से अमल दरामद करने से रह गया, जिसके हाल आराजी नंबर 1848 रकबा 18.2900 हैक्टर है, जो बाद में परिवर्तित होकर नये नंबर 2597/2584 रकबा 14.4900 हैक्टर बने। वादीगण के भाई चुन्नीलाल के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण का निरन्तर कब्जा होने से वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादीगण के आराजी नंबर 2597/2584 बिलानाम से हटाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किये जाने पर प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपने वाद पत्र में कहीं नहीं बताया कि उसे कौन सी जमीन का आवंटन किया गया है तथा उसका हाल आराजी नंबर 2597/2594 में कैसे हक बनता है। वादीगण ने निरन्तर कब्जा बताते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर रिलीफ चाही है, जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19–06–2024 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–07–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट/वादीगण का दावा सब डिवीजन उदयपुर द्वारा आवंटन के आधार पर है, लेकिन विकल्प में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी चाही गयी है। ऐसी स्थिति में केवल प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण का दावा मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। वादीगण द्वारा आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्टगण को मौजा मजावद की आराजी नंबर 2597/2584 में से आवंटन शुदा 5 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अपीलान्ट/वादीगण के दावे का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा होने से मेन्टेनेबल नहीं होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादीगण ने अपने वाद की कलम संख्या 1 में स्पष्ट अंकित किया है कि उसके भाई स्वर्गीय चुन्नीलाल को विवादित आराजी में से 5 बीघा भूमि दिनांक 21-03-1974 को सब डिवीजन उदयपुर द्वारा आवंटित की गयी है तथा उसका नामान्तरकरण भी स्वीकृत होकर उसे खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो गये तथा संवत् 2021 से 2024 तक जमाबन्दियों में इन्द्राज भी रहा, किन्तु बाद की जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज नहीं कर भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी है, ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त 5 बीघा भूमि की खातेदार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस बाबत् वादीगण द्वारा जमाबन्दी, नामान्तरकरण, मिसल [illegible] तथा सब डिवीजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested

आफिसर उदयपुर का आदेश प्रस्तुत किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वाद की कलम संख्या 3 में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाहे जाने को वाद का मुख्य आधार मानते हुए वादीगण का वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मेन्टेनेबल नहीं होना मानते हुए वाद खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 19–06–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:58 IST
Reason: SelfAttested